


न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश खालियर कैम्प रीवा म0प्र0

R. 5013-3/15

83

308



4-301-

राजस्व निगरानी प्रकरण कमांक R. 5013-3/2015

- 1- निचिकिया उर्फ दिमनी वेवा वंशबहोर पटेल
 - 2- कुन्जबिहारी पुत्र वंशबहोर पटेल
 - 3- लक्षिमन प्रसाद तनय वंशबहोर पटेल
 - 4- उमेश प्रसाद तनय वंशबहोर पटेल
- सभी निवासी ग्राम तितली तहसील सिहाबल जिला सीधी म0प्र0
- 5- देवकली पुत्री वंशबहोर पटेल एवं पत्नी राजेन्द्र प्रसाद पटेल निवासी ग्राम बड़ागाव तहसील सिहाबल जिला सीधी म0प्र0
 - 6- शकुन्तला उर्फ गोलकिया पुत्री वंशबहोर एवं पत्नी रामाधार पटेल साकिन डिहुली टीकर तहसील सिहाबल जिला सीधी म0प्र0

निगरानीकर्ता / अनावेदक

बनाम,

कुटुम्बधारी तनय स्वर्गीय भगवानदीन पटेल निवासी ग्राम तितली तहसील सिहाबल थाना अमिलिया जिला सीधी म0प्र0 गैर निगरानीकर्ता / आवेदक

श्री कुटुम्बधारी तनय स्वर्गीय भगवानदीन पटेल द्वारा आज दिनांक 01-09-15 के प्रस्तुत किया गया

सिद्ध
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सीधी (डॉ०एम०पी०पटेल) द्वारा प्रकरण कमांक- 210/निगरानी/ 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 30.6.2015, पारित अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता,

मान्यवर,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :-

1- यहकि प्रस्तुत की जा रही निगरानी के निराकरण हेतु तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दिया जाना आवश्यक है जो इस तरह है कि :-

(ए) यहकि अनावेदक / निगरानीकर्ता ने आवेदिका कमांक-1 के पति स्वर्गीय वंशबहोर पटेल के पक्ष में निष्पादित और पजीकृत कराये गये

विक्रय पत्र के आधार पर पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 30.6.91 के

2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R5013-II/15

जिला-सीधी

निचिकिया उर्फ दिमनी पटेल/कुटुम्बधारी पटेल

(1)	(2)	(3)
<p>05/8/19</p> <p><i>le</i></p>	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 210/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 30.08.15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	